Law।

राज्य के कार्यकलापों में कानून की महत्ता प्लेटो के काल से ही राजनीति शास्त्रियों के मध्य वाद-विवाद का विषय रहा है। अरस्तू ने भी शासक के आदेशों से ऊपर कानून को प्राथमिकता दी है। अरस्तू की यह मान्यता थी कि कानून बौद्धिकता के मामले में एक अकेले व्यक्ति के निर्णय से अवश्य ही उत्कृष्ट होगा क्योंकि यह जन समुदाय की सामूहिक बौद्धिकता का प्रतिनिधित्व करता है। रोमन एवं मध्यकालीन विचारकों ने भी देश के संचालन में कानून की महत्ता पर बल दिया है। आधुनिक काल में भी 'विधि के शासन' (Rule of Law) को उच्च माना गया है।

कानून शब्द का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न अभिप्रायों से किया गया है। भौतिक जगत में इसका प्रयोग कार्य एवं कारण की श्रृंखला के द्योतक के रूप में किया गया है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम आदि उल्लिखित किया जा सकता है। ये नियम अपरिहार्य परिणामों को प्रदर्शित करते हैं, जो एक निश्चित श्रृंखला पर आधारित होता है।

कानून शब्द के विभिन्न अभिप्रायों को देखते हुए हेडी, एण्डरसन, क्रिस्टल ने अपना मत व्यक्त ~~करते हुए कहा है कि~~ किया है। इनके विचार के अनुसार, "कानून प्रचलित विचार और व्यवहार के वह अंश हैं जिसे एक समान नियमों के रूप में स्पष्ट और औपचारिक मान्यता दी गई हो, और इन नियमों को शासन की सत्ता और शक्ति का समर्थन प्राप्त हो।"

यानि, राजनीतिशास्त्र के अन्तर्गत कानून का अभिप्राय एक ऐसे 'Body of rules' से लगाते हैं, जो मानवीय आचरण को परिचालित करता है।

कानून का अंग्रेजी पर्याय "Law" शब्द की उत्पत्ति प्राचीन यूनानी शब्द "Lag" से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "कुछ ऐसी वस्तु जो स्थिर एवं समान रूप से हो।"

अर्थात् शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से कानून का अभिप्राय 'Positum' अथवा "imposed" से लगाया जा सकता है।

Oxford English Dictionary के अनुसार "Law is a Rule of Conduct imposed by authority."

विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कानून को भिन्न-भिन्न रूपों में परिभाषित किया है -

सामण्ड के अनुसार "कानून उन सिद्धान्तों का समुच्चय है जिन्हें राज्य मान्यता देता है और न्याय के प्रशासन के दौरान लागू करता है।"

ऑस्टिन के अनुसार "Law is the Command of the ~~sovereignty~~ Sovereign."

यद्यपि हेनरी मेन ने ऑस्टिन की उपरोक्त परिभाषा का खण्डन करते हुए कहा है कि यह समाज के व्यापक "Customary Laws" की चर्चा नहीं करता है, जो न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त एवं लागू किए गए हैं।

क्रमशः हॉलैण्ड ने ऑस्टिन एवं हेनरी मेन के विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक विचारों के मध्य समझौतावादी रुख अपनाते हुए कानून को परिभाषित किया है "आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाहरी आचरण से सम्बन्धित होते हैं और उन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है।"

उपरोक्त परिभाषाओं से कानून के महत्वपूर्ण लक्षण की लक्षण परिलक्षित होते हैं -

प्रथम, कानून एक सामान्य नियम है, जो राज्य के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर आरोपित होता है तथा यह किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित नहीं होता है।

द्वितीय, यह सदस्यों के बाह्य क्रियाकलापों से सम्बन्धित होता है तथा इसे उनके अभिप्रायों, इच्छाओं एवं विचारों से कोई मतलब नहीं होता।

तृतीय, कानून की उत्पत्ति एक शक्तिशाली सत्ता से होता है जो कि व्यवस्थापिका है। कभी-कभी सुस्थापित परम्पराएँ, रीति-रिवाज तथा धार्मिक संक्रियाएँ भी कानून के रूप में परिणत हो जाती हैं।

चतुर्थ, कानून का समर्थन राज्य की शक्तिशाली सत्ता द्वारा किया जाता है तथा इसके उल्लंघन की प्रति-दण्ड द्वारा की जाती है।

पंचम, कानून का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति तथा साथ ही साथ सामान्य जनकल्याण भी होता है।

कानून के स्रोत:— कानून के अर्थ एवं आधारभूत लक्षणों के परीक्षण के पश्चात यह आवश्यक होगा कि कानून की उत्पत्ति के मुख्य स्रोतों का भी परीक्षण किया जाए।

हॉलैण्ड — के अनुसार, कानून के निम्नलिखित छः प्रमुख स्रोत हैं —

1. रीति रिवाज — रीति-रिवाज कानून का सर्वाधिक प्राचीन स्रोत रहा है। प्रारम्भिक काल में जनजीवन मुख्य रूप से रीति-रिवाज के नियमों द्वारा ही नियन्त्रित एवं संचालित था। सामान्य उपयोगिता पर आधारित इन नियमों को समय के अन्तराल के साथ-साथ ठोस स्वरूप प्राप्त हुआ तथा लगभग सभी विधि को इनकी महत्ता को मान्यता प्रदान की गई। प्राचीन एवं मध्यकाल में अधिकांश कानून, जो शासकों के लेख मात्र बन कर रह गए थे, से संस्थापित रीति-रिवाजों पर आधारित थे। बेबीलोनिया का हम्मूराबी कोड, ग्रीस का ड्रेको एवं सोलोन कोड ये सभी सम्बन्धित राज्यों की रीति-रिवाज पर आधारित हैं। भारत में भी मनु एवं याज्ञवल्क्य ने अपनी संहिता में भी कुछ महत्वपूर्ण रीति-रिवाजों को समाविष्ट किया है। मैकाइवर जैसे बहुलवादी तो यह मानते हैं कि कानून राज्य की उत्पत्ति से भी पहले मौजूद था, राज्य केवल कानून की घोषणा करता है, उसका सृजन नहीं करता है।

2. धर्म — कानून की उत्पत्ति में धर्म का भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वास्तव में, प्राचीन समाज में धार्मिक एवं रीति-रिवाजी कानून इतने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े थे कि वास्तव में इन दोनों को अलग-अलग पहचान पाना भी कठिन था। संत, राजाओं की संस्थाओं का अस्तित्व धर्म एवं कानून के घनिष्ठ सम्बन्धों को प्रदर्शित करता है। राजा बहुआ एक संत एवं

संन्यासी के समान कार्य करता था तथा उनके निर्णयों के पीछे दैविक अनुशक्ति मानी जाती थी यहां तक कि हिन्दू एवं मुस्लिम विधि भी बहुत हद तक धर्म पर आधारित है।

3. **न्यायिक निर्णय** — न्यायिक निर्णय कानून का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। यह प्रारंभिक काल से ही प्रयुक्त किया जाता रहा है, जबकि कोई भी विवाद कबीले के प्रबुद्ध व्यक्तियों के समक्ष उनके निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता था। सामान्यतः ये प्रबुद्ध व्यक्ति कभी-कभी अपने विवेक से भी निर्णय करते थे। समय के अन्तराल में ये निर्णय स्वीकार्य कानून के रूप में परिणत होते गए। आधुनिक युग में भी न्यायिक निर्णय कानून के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। न्यायालय कानून की व्याख्या करते समय जाने-अनजाने नवीन कानून की उत्पत्ति भी करते हैं। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसे "Third Chamber of the American Congress" भी कहा जाता है।

4. **वैज्ञानिक टिप्पणियाँ** — सामाजिक विकास के साथ-साथ एक विधिवेत्ता वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने मौजूदा रीति-रिवाजों, अभिसमयों, परम्पराओं, न्यायिक निर्णयों आदि के अध्ययन का बीड़ा उठाया तथा तत्कालीन न्यायिक व्यवस्था के विकास एवं सुधार हेतु बहुमूल्य सुझाव दिए। इन विशेषज्ञों के लेखों एवं टिप्पणियों का अत्यंत आदर किया जाता था तथा न्यायाधीश विभिन्न मुकदमों के निर्णयों के संदर्भ में भी इनका हवाला दिया करते थे। इन विधि विशेषज्ञों द्वारा दिए गए मत, दलीलें किसी विशेष मुद्दे के पक्ष अथवा विपक्ष की दलीलों के रूप में प्रयोग की जाती थी और इस प्रकार इन्हें कानून के क्षेत्र में स्थान प्राप्त हुआ। ब्रिटेन में ब्लैकस्टोन, अमेरिका में स्टोरी एवं केन्ट तथा भारत में मिताक्षरा आदि के वैज्ञानिक अध्ययनों

ने संबंधित शब्दों ने कानून के विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

5- **औचित्य** :- औचित्य कानून का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। जब कानून किसी विशेष मुद्दे पर खामोश होता है तो न्यायाधीश उस मुद्दे का निर्णय स्वच्छता एवं न्यायता के आधार पर करने का प्रयास करता है। कभी-कभी औचित्य का प्रयोग न्याय की माँग को पूरा करने के लिए बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मौजूदा कानून को नवीन अर्थ का संस्थापना हेतु भी किया जाता है। इंग्लैंड में औचित्य ने कानून के विकास के स्रोत में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वहाँ औचित्य के एक पृथक शाखा का उदय हुआ। जिसका प्रयोग Court of Chancery द्वारा किया जाता है।

6 **विधायन** — विधायन कानून का अन्तिम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य के क्रियाओं में प्रसार के साथ ही कानून के एक स्रोत के रूप में विधायन का महत्व भी बढ़ता गया है। आधुनिक युग में विधायन न केवल नवीन कानूनों की संस्थापना का प्रयास कर रहा है बल्कि कानून के अन्य स्रोतों का अस्तित्व समाप्त करने का भी प्रयास कर रहा है। यह मौजूदा रीति-रिवाजों तथा धार्मिक सिद्धान्तों को एक निश्चित कानून का स्वरूप प्रदान करने का भी प्रयास कर रहा है।

अतः निष्कर्ष में कह सकते हैं कि राज्य का लक्ष्य मानव कल्याण है। उसके लिए राज्य जो व्यवस्था करता है वह कानून द्वारा ही सम्भव हो पाता है।

—